मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12/03/2022

क्रमांक 687/3321/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1261/2686/ 2021/38/1, दिनांक 06.08.2021 के सरल क्रमांक 68 पर अंकित डॉ. डी.एस. बामनिया, सहायक प्राध्यापक, गणित, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शासकीय महाविद्यालय, पिपालिया मण्डी किया गया है।

2/ उक्त आदेश के विरूद्ध डॉ. बामनिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 14993/2021 दायर की गई, जिमसें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 में याचिका को dispose of किया है। माननीय न्यायालय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

Counsel for the respondents/State has opposed the prayer, however, it is submitted that the petitioner's representation shall be decided in accordance with law.

Having considered the aforesaid submissions and also considering the fact that the petitioner's representation is pending consideration before the respondent No.1, the writ petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a fresh representation along with all relevant documents before the respondent No.1 within a period of one week's time and the respondent No.1 is also directed to decide the petitioner's representation in accordance with law by a reasoned and speaking order within a further period of four weeks.

Till the representation of the petitioner is decided, he shall be allowed to continue at the present place of posting i.e. Government PG College Khargone.

With the aforesaid, the present petition stands disposed of.

3/ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में डॉ. बामनिया द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। डॉ. बामनिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुक्रम में विभागीय अभिमत निम्नानुसार है :-

निरंतर.....2

क्र.	स्थानांतरण निरस्त किये जाने के आधार	विभागीय अभिमत
i	मुझे हार्ट अटेक आने के कारण दिनांक 09.09.2020 को शेल्वी चिकित्सालय, इंदौर में हार्ट का ऑपरेशन (Angioplasty) करवाया गया है। चिकित्सकों के अनुसार मेडीकल चेकअप हेतु बार-बार इंदौर आना-जाना पड़ता है। स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय, पीपल्या मण्डी में हो जाने से स्वास्थ्य परीक्षण के लिये असुविधा होगी। साथ ही अधिक दूरी करना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होगा।	स्थानांतरण नीति की कंडिका 24 के अनुसार गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

4/ डॉ. डी.एस. बामनिया, सहायक प्राध्यापक के पद पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन में विगत 12 वर्षों से पदस्थ हैं। डॉ. बामनिया का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

5/ डॉ. बामनिया, प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारी है। स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 50 के अनुक्रम में डॉ. बामनिया द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. डी.एस. बामनिया, सहायक प्राध्यापक, गणित, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य करता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 12/03/2022

पृष्ठा.क्र. 688/3321/2021/38/1
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर
3. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन,

4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, पिपालिया मण्डी,
5. संबंधित डॉ. डी.एस. बामनिया, सहायक प्राध्यापक, गणित, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन
6. गार्ड फाईल,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग